

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2221]

No. 2221]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2013/आश्विन 1, 1935

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2013/ASVINA 1, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2013

का.आ. 2893(अ).- जबिक केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त सूचना की तिथि से पैतालीस दिनों के अंदर आपित्तयाँ /सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के रूप में का.आ.सं. 1387 (ई) दिनांक 29.05.2013 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

- 2. जबिक, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गयी आपितयों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किए गए जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्हें अनुमोदित भी किया गया था |
- 3. जबिक, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है ।

4100 GI/2013 (1)

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उक्त मास्टर प्लान दिल्ली-2021 भारत के राजपत्र् में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है:

अध्याय वार संशोधन निम्नानुसार हैं :

अध्याय /	पैरा/खंड/एमपीडी-2021 की	तालिका	
क्र.सं0	मौजूदा प्रावधान		संशोधन
1	2		3

ग. अध्याय 3.0 - दिल्ली शहरी क्षेत्र - 2021

तालिका 3.3 में स्तर 3
 सामुदायिक जनसंख्या 1,00,000 शहरी विकास का
 श्रेणीबद्ध गठन

स्तर	सुविधाएं	वर्गमीटर क्षेत्रफल							
		सं०	प्रति ईकाई	कुल					
1	2	3	4	5					
सामुदायिक जनसंख्या	1.अस्पताल	2	2,000—15000	4000-30,000					
1,00,000	 तृतीयक स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र 	1	10,000-15,000 10,000-15,000	10,000-15,000					

टिप्पणी : तीन ओर खुले हुए और एक ओर न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार रखने वाले प्लॉट को प्राथमिकता देने के साथ आवासीय क्षेत्र में, अस्पताल के प्लॉट का आकार 1.5 हैक्टेयर तक सीमित होगा, अस्पताल का कुल तल क्षेत्र फल उसके अंदर अनुमत कुल बिस्तरों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

	तालिका 3.3 में स्तर 4 जिला							
	जनसंख्या 5,00,000, शहरी	स्तर		सुविधाएं	;	वर्गमी	टर क्षेत्रफल	
	विकास का श्रेणीबद्ध गठन					सं0	प्रति इकाई	कुल
		1		2		3	4	5
		जिला जनसंख्या					25,000 —	25,000 —
		100,00,	1 अस्पता	ਕ			45,000	45,000
			2 अस्पताल	 न		2	15,000 —	30,000 —
							25,000	50,000
2	3.3.2 पैरा पुनर्विकास स्कीमों हेतु वि	। देशा-निर्देश			 (viii)जैसे	अस्प	<u>।</u> पताल/तृतीयक	<u>।</u> स्वास्थ्य रक्षा केंद्र,
				f	डेस्पेन्सरियाँ .			
अध	त्याय ४.० - आश्रय व्यवस्था							
3.	पैरा 4.41 उप उपयोग जोव	न/विदेशी मिशन	(आर.एफ.)	vii) स्व	ास्थ्य केन्द्र–अस्प	ताल/	तृतीयक स्वास्थ्य र	क्षा केंद्र , डिस्पेंसरी
	में उपयोग परिसरों की अनुग	गति						
अध	त्याय 5.0 व्यापार एवं वाणिज्य							
4	पैरा 5.10. अनौपचारिक क्षेत्र			;	स्कूल, कॉलेजों	, अस् ^र	ग्तालों/ तृतीयक	स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों
				और पी	रिवहन केन्द्रों	और .		
5								
	तालिका 5.3 योजना मानदंड	;		क्र.	उपयोग ज	ोन 3	भनौपचारिक दुका	नों / इकाइयों की
				सं०	/ उपयं		मंख्या	
					परिसर			
				iv)	अस्पातल	/	प्रति १०० बिस्	तरों पर 3 से 4
					तृतीयक	Ę	इकाईयों	
					स्वास्थ्य			
					रक्षा केंद्र			

	तालिका 5.4 के नीचे टिप्पणी : विकास नियंत्र्ण- व्यावसायिक केन्द्र ध्याय 7.0 -उद्योग		(i)सभी होटलों, रैस्टोरेंट्रस, ऑटो वर्कशॉप्स, अस्पतालों / तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों आदि की व्यवस्था करनी होगी					
	ा 7.0 -उद्योग तालिका 7.2 : औद्योगिक क्षेत्रें में भूमि वितरण के मानदंड	क्र. सं. 4.	उपयोग परिसर	प्रतिशत 6-8				
		4.	सुविधाएँ : सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक : दमकल स्टेशन/दमकल चौकी/पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी,अस्पताल/ तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र डिस्पेंसरी, आई.टी. आई/पोलीटेक्निक, धर्मशाला, रैन बसेरा, डे केयर सेंटर आदि					
8	तालिका 7.3 के नीचे टिप्पणी	औधों अंतर्ग करने प्लांट तल १ का १ दर स (ताति सदृश्य नहीं	ा. मार्गाधिकार और इससे उपर सडक के स् गिक प्लांट मौजूदा विकास नियंत्रण ांत अस्पताल (100 तक बिस्तर वाला) के लिए पात्र होंगे । शर्तों के अध्यधीन में समायोजित बिस्तरों की संख्या 80 व क्षेत्र प्रति एक बिस्तर की दर से (ख) पि मुगतान समय समय पर सरकार द्वारा यह से लिया जाएगा । अस्पताल में स्वीकार्य नेका 13.20) ऐसे प्लाटों में अनुमत होंगी । य/नियमित औद्योगिक समूह के लिए होंगी । उपर्युक्त प्रावधान उच्चतम न्हीं को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं को	मानदंड के में परिवर्तन (क) एक र्ग मी. कुल रवर्तन प्रभार था निर्धारित गतिविधियों तथापि गैर यह अनुमत				
9	अनुलग्नक ॥। निषिद्ध /नेगेटिव उद्योगों की सूची	46. खत स्वास्थ्य	रिनाक/कूड़ा कचरा संसाधान अर्थात्र अस्पत रक्षा केंद्र /चिकित्सा/औद्यो	•				

10	तालिका 12.6 : ईंधन स्टेशनों के लिएमानदंड		क्र.सं	भूमि उपय	ोग / उपयोग परिसर	मानदंड		
			7.	_	परिसर / पुलिस / / तृतीयक स्वास्थ्यः	कैपटिव उपयोग रक्षा हेतु /		
					ारकार	आवश्यकतानुसार		
अध्या	य 13.0 - सामाजिक आधारिक संरचना							
11	. अध्याय 13.1		हरी जन पताल श्रे		ए निम्नलिखित स्वास्थ	न्य सुविधाएं होंगी :		
		अधिव		नुमत एफ ए		संख्या से निर्धारित होगी, जो ी और प्रति बिस्तर क्षेत्र्फल 80		
		ख) तृ	ब) तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र					
		केंद्र, प	ग) अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसमें प्रस्ति गृह, नर्सिंग होम, परिवार कल्याण केंद्र, पॉलीक्लिनिक, बाल चिकित्सा केंद्र, जरा चिकित्सा केन्द्र, नैदानिक केंद्र आदि शामिल हैं					
12	तालिका 13.1 : स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए योजना मानक और मानदंड	क्र. सं0	श्रेप	गी	जनसंख्या/ ईकाई	प्लांट क्षेत्र (लगभग)		
		1.	317	न्पताल	5.0 लाख	2.5 है से से 4.5 है तक		
		2.			2.5 लाख	1.5 है से 2.5 है तक		
		3.			1.00 लाख	0.2 है से 1.5 है तक*		
	4			4 तृतीयक 1.00 लाख 0.2 हैक्टेयर स्वास्थ हैक्टेयर देखभाल केन्द्र				
			तीन ओ	•	-	्रातम 18 मीटर मार्गाधिकार सीय क्षेत्र् में, अस्पताल प्लॉट		

		उसर			नक सीमित रहेगा pल बिस्तरों की संख		
		क्र	श्रेणी	अधिकतम			अन्य नियंत्रण
		सं		तल कवरेज	एफएआर	<u> ऊंचाई</u>	
13	तालिका 13.2 : स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विकास नियंञ्ण		अस्प - ताल / तृतीय क स्था स्थ्य रक्षा केन्द्र	भवन उप नियमों के अनुसार परस्पर भवन से भवन के बीच की दूरी और अग्निशमन वाहन आवाजाही जरूरतों के अनुसार तल कयरेज का निर्धारण, अधिकतम 40% के अधीन हैं जिसमें बहु- स्तरीय पार्किंग के तिए 5% अतिरिक्त तल कयरेज शामिल नहीं हैं	मार्गाधिकार की ओर के प्लॉटॉ पर एफ.ए.आर जिम्नानुसार अवस्थिति के आधार पर सभी संबंधित एजेंसियों से अनापति प्रमाण पत्र लेने के अधीन होगा क. 24 मी से कम मार्गाधिकार ख. 24 मी से कम मार्गाधिकार ख. 24 मी से कम मार्गाधिकार ख. 24 मी से कम मार्गाधिकार टी एस/प्रमुख परिवहन कॉरिडोरों, जैसे-मैट्रो और बी आर टी कॉरिडोरों, जैसे-मैट्रो और बी आर टी कॉरिडोरों, के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले प्लाटों के लिए 50%	एएआई, डी एफ एस, डी एम ए, एन एम ए, से अनुमित लेने पर ऊँचाई प्रतिबंध नहीं एन बी सी के प्रस्तावित संशोधन को जितना जल्दी हो सके, आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। एन बी सी में संशोधन होने तक दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डी.एफ.एस.) ए ए आई, डी एम एस, डी एम ए और अन्य साविधिक प्रावधानों से अनुमित के अधीन अग्नि और जीवन सुरक्षा उपायों के अनुरूप स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के लिए ऊँचाई का कोई प्रतिबंध	के 25: तक का उपयोग अनिवार्य स्टाफ, मरीज के साथ आए व्यक्तियों के लिए डोरमैट्री/होस्टल, क्रेच आदि के लिए रिहायशी उपयोग के लिए किया जा सकता है । 2. पार्किंग मानक 2.0 ईसीएस/100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल की दर से। 3. प्रांगण* उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम 10% तल कवरेज की अनुमति दी जा सकती है । प्रांगण के लिए यदि अनुमेय अतिरिक्त तल कवरेज का उपयोग होता है तो जपयोग होता है तो उपयोग होता है एक स्वा के प्रांच की सीमा तक अनुमेय होगी, जो संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यास पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने

		अधिक	एफएआर	नहीं	लगाएगी	_	क
			कराया जाना			होगी	
		चाहिए।				a	_
						5. सामान्य क्षे	4,
						जैसे-प्रतीक्षा कक्ष	₹,
						स्वागत कक्ष औ	र
						अग्नि-आकस्मिक द्व	ार
						के लिए अनुर्मा	ते
						एफएआर से मु	क
						होगी	
						6. 1.8 मी. उंचाई	के
						सेवा तल एफएआर	में
						शामिल नहीं होगा ।	

* प्रांगण के लिए प्राकृतिक रोशनी की स्थिति की छूट है और प्रांगण के उपर निर्माण की अनुमति दी जाए ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अग्निशमन विभाग के परामर्श से अस्पताल भवन में 30 मी पी.की उंचाई नियत्रंण की पुनरीक्षा की जाए ।

नोट:

- 1. सभी अस्पतालों/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र के लिए प्लॉट क्षेत्र् प्रतिबिस्तर कुल फर्श क्षेत्रफल का 80 वर्गमीटर की दर से निकाला जाए |
- 2. अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्यरक्षा केन्द्र व मैडिकल कॉलेज/नर्सिंग होम एवं पैरामैडिकल संस्थानों आदि के स्थलों पर फर्श क्षेत्र के अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र को सामुदायिक स्थल/धार्मिक बोर्ड/क्रैच/कैमिस्ट दुकान/बैक काउंटर आदि के उपयोग की अनुमति दी जाएगी |

अन्य नियंत्र्ण :

- क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत्र प्रमाणित अति विशेष चिकित्सा सुविधाओं/अस्पतालों के मामलों में कुल क्षेत्रफल 80 वर्गमीटर तक प्रति बिस्तर की दर से निकाला जाएगा |
- (ख) मौजूदा परिसरों/स्थलों के मामले में प्राधिकरण/भूस्वामी एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रभारों के भुगतान और अन्य अनापत्तियों की शर्त पर एफ.ए.आर. में बढ़ोतरी की अनुमति दी जाएगी |
- (ग) पार्किंग के लिए उपयोग के बाद बेसमैंट य जरूरी सेवाओं जैसे भूमि एवं उपकरणों का वातानुकूल, जल भंडारण, ब्वायलर, वियुत सब स्टेशन, एच टी एवं एल टी पैनल कक्ष, ट्रांसफोर्मर कक्ष, नियंत्रण कक्ष, पम्प हाउस, जैनरेटर कक्ष य अन्य यात्र्िकी सेवाएं य वियुत एवं अग्नि शमन उपकरणों की स्थापना य एवं अन्य सेवाएं जेसे किचन, लॉन्ड्री एवं रेडियोलोजी लैब तथा इमारत के अनुरक्षण/क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अन्य जरूरी सेवाओं को संबंधित एजेंसियों की पूर्व स्वीकृति से स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है |
- (घ) बैसमैंट आदि से संबंधित अन्य नियंत्र्ण विकास कोर्ड अध्याय में दिए गए हैं |
- (इ) एक स्वास्थ्य सुविधा के बिस्तरों की संख्या, अनुमत एफ.ए.आर., समाज की आवश्यकता

		एवं माँग के अनुसार ही अनुमत होती है (च) जैव कचरा के उत्पन्न होने को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अनुमित अनिवार्य बनायी जाएगी । पर्यावरण से संबंधित प्रमुख नियमों के अनुसार पर्यावरण अनुमित अनिवार्य है । (छ) सीवरेज के लिए जीरो डिस्चार्ज समर्थकों के लागत पर लागू किया जाएगा और शोधन के पश्चात जल परिसरों द्वारा अपने उद्यानकृषि फ्लिशिंग कूलन्ट टावर धुलाई और अन्य साईटों में निपटान जैसे आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है । यह मामले स्वायत्त निकायों से संबंधित हैं और योजना की स्वीकृति के समय मौजूदा नियमों के अनुसार इन पर कार्रवाई की जा सकती है । (ज) अतिरिक्त विद्युत आवश्यकताओं को ग्रिड से विद्युत पूर्ति द्वारा और उस समय तक उचित केप्टिय जनटेशन से पूरी जाएगी ।							
14	पैरा 1 पैरा 13.6.3 के नीचे, आपदा से पहले की तैयारी	सांस्थ और	निक ानिक, प ऐसे भव	भवनों (जैसे गॉवर स्टेशन,	अस्पताल, तृर्त आधारिक संरचना गृहद जन समुदाय	मना करने की क्षमता लाने के लि ायक स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों, शैक्षिव ा, विरासत स्मारक, लाइफ लाइन ढ़ां ा एकत्रित होने की संभावना हो) व			
15	तालिका 13.20 स्वास्थ्य सुविधाएं		क्र. सं.	परिसरों का उपयोग अस्पताल	एवं विशेष प्रकार की मेडीकल सुविधाएं प्रदान कर रहा हो	रोगी परिसर आवास, संस्थागत होस्टल, मेडीकल कॉलेज (केवल लगभग 2.5 हैक्टैयर से 4.5 हैक्टैयर आकार लगभग के प्लॉटों पर), पार्किंग फुटकर दुकान (कैंटीन, कन्फक्शनरी ग्रोसरी एवं जनरल मर्चेंट्रस, किताबें एवं लेखन सामग्री, दवा विक्रेता, नाई, धोबी, सब्जी			
			क्र.सं	. परिसरों व उपयोग	ज परिभाषाएं	स्वीकार्य गतिविधियाँ			

			_		
		11.	तृतीयक	एक ऐसा परि	
			स्वास्थ्य		के आवास, रोगी परिचर
			रक्षा केन्द्र	उपचार के वि	
				विशिष्ट प्रकार	
6				आधुनिक स्वार	
				रक्षा सुविधाओं	
				सुपर	कन्फेक्शनरी, ग्रौसरी एवं
				स्पेशियेलिटी/मत	
				स्पेशियेलिटी हे	
				केयर, पुनर्वास वे	
				आदि की सुवि	
				प्रदान कर रहा	
				इसे सार्वजि	
				निजी या ध	
					द्वारा के लिए अन्य विशिष्ट
				चलाया जा स	कता सुविधा (सुविधाएं)
				#	
		<u>a</u>	परिमर्शे	परिभाषाएं	स्वीकार्य गति- विधियां
		क्र. सं.	परिसरों का	परिभाषाएं	स्वीकार्य गति- विधियां
				परिभाषाएं	स्वीकार्य गति- विधियां
			का	परिभाषाएं आपदा प्रबंधन	स्वीकार्य गति- वि धियां आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण
		सं.	का उपयोग		
		सं.	का उपयोग आपदा	आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण
7	तालिका 13.25 : स्रक्षा - अग्निशमन	सं.	का उपयोग आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन बैकप की	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अम्यास
7	तालिका 13.25 : सुरक्षा - अग्निशमन	सं.	का उपयोग आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा,	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए
7	तालिका 13.25 : सुरक्षा - अग्निशमन	सं.	का उपयोग आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए
7	तालिका 13.25 : सुरक्षा - अग्निशमन	सं.	का उपयोग आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए खुला मैदान, संचार केन्द्र, छात्रवास, स्टाफ आवास,
7	तालिका 13.25 : सुरक्षा - अग्निशमन	सं.	का उपयोग आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा से निपटने की तैयारी के लिए	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए खुला मैदान, संचार केन्द्र, छात्रवास, स्टाफ आवास, अग्निशमन, केंद्र, पहरा एवं
7	तालिका 13.25 : सुरक्षा - अग्निशमन	सं.	का उपयोग आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा से निपटने की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र,	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए खुला मैदान, संचार केन्द्र, छात्रवास, स्टाफ आवास, अग्निशमन, केंद्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20
7	तालिका 13.25 : सुरक्षा - अग्निशमन	सं.	का उपयोग आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा से निपटने की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र, बेतार-संचार	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए खुला मैदान, संचार केन्द्र, छात्रवास, स्टाफ आवास, अग्निशमन, केंद्र, पहरा एवं
17	तालिका 13.25 : सुरक्षा - अग्निशमन	सं.	का उपयोग आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा से निपटने की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र, बेतार-संचार आदि की	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए खुला मैदान, संचार केन्द्र, छात्रवास, स्टाफ आवास, अग्निशमन, केंद्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20
7	तालिका 13.25 : सुरक्षा - अग्निशमन	सं.	का उपयोग आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा से निपटने की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र, बेतार-संचार	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए खुला मैदान, संचार केन्द्र, छात्रवास, स्टाफ आवास, अग्निशमन, केंद्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20

अध्या	य 14.0 -ठोस कचरा								
	3 — 44.6 3 —	अस्पतालों,	तृतीयक स्वा		प्रों, नर्सिंग होम	एवं क्लिनिक	प्त के लिए		
18	पैरा 14.6 ठोस कचरा	जैव चिकित्सी	य कचरा (सं	भाल एवं प्रबंध	ान)नियम, 19	98			
अध्या	य 16.0 - भूमि उपयोग योजना								
		2और अस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों, चिकित्सालयों, कालिजों, स्कूलों,							
19	पैरा 16.2 विशेष क्षेत्र विनियम		•			ारी कार्यालयों,	•••		
	•	जैसी सेवाओं							
अध्या	य 17.0 - विकास संहिता								
20	खण्ड ४.०: निर्दिष्ट उपयोग जोन	सार्वजनिक ए	वं अर्ध-सार्वज	निक सुविधाएं					
		पीएसआई अ	स्पताल, तृ	तीयक स्वास्थ	त्य रक्षा कें	द्र, शिक्षा एव	i अनुसंधान		
			•			ं क -सांस्कृतिव	•		
		सांस्कृतिक	परिसर/ कें	द्र, पुलिस /	पुलिस मुख	यालय / पुरि	नेस लाइन्स,		
		अग्निशमन वे	न्द्र , आपट	त्र प्रबंधन केंद्र	, धार्मिक, दफ	न स्थल / शव	ादाह स्थल∣		
21.	उप/खंड ८(२); व्यवहार जोनों में उपयोग परिसरों	क्र सं0	उपयोग जो	 न					
	की अनुमति		आर डी	सी1	सी2	एम	पीएस		
		पीएस और र	 सामाजिक औ	 र अर्ध सामारि	 जेक सुविधाएं				
		i	Р	Р	NP	Р	Р		
		अस्पताल		'					
		अस्पताल							
		(0.2 है0							
		से 1.5 है0							
		तक)							
		ii तृतीयक	Р	Р	NP	Р	Р		
		स्वास्थ्य							
		रक्षा केन्द्र							
		टिप्पणी							
		(x) तीन ओर	से खुले हए	और एक ओर	न्यूनतम १८	मी मार्गाधिका	र वाले प्लांट		
			•			लांट का आका			
			•			अन्दर अनुमत			
		संख्या के आध		-		ŭ			
		(xi) एक स्वास	थ्य सुविधा वे	ने बिस्तरों की	संख्या अनुम	त एफ.ए.आर.	समाज की		

[भाग II-खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण <u>11</u>

तालिव	हा 18.1 योजना समीक्षा और निगरानी	आवश्यकता एवं मांग के अनुसार अनुमत की जाए।
22	तालिका 18.1; विकास के लिए मानीटरिंग फ्रेमवर्क	iv. सामाजिक / आधारिक संरचना i. क. स्वास्थ्य अस्पताल (2.5 हैक्ट. से 4.5 हैक्ट.) अस्पताल (1.5 हैक्टे. से 2.5 हैक्टे.) अस्पताल (0.2 हैक्टे. से 1.5 हैक्टे.) तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (0.2 हैक्टे. से 1.5 हैक्टे.)* aic: * वर्ष 2021 तक विभिन्न योजना अवधि के लिए अपेक्षित पूर्ण संख्या में विभिन्न सुविधाओं की संख्या पता लगायी गई है किन्तु तृतीय स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र के मामले में, चूंकि यह नया परिसर है, इसका दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पता लगाये जाने का प्रस्ताव है।

[फा. सं. के-12011/9/2012-डीडी-।]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, Dated the 23rd September, 2013

- S.O. 2893(E).— Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O.1387(E) dated 29th May, 2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.
- 3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

CHAPTER-WISE MODIFICATIONS ARE AS UNDER:

Chapter/	Para/Clause/	Modifications							
S. No.	Table of MPD-2021								
1	2			3					
CHAPTER	3.0-DELHI URBAN A	REA-2021							
1	Level 3 Community								
	Population-1,00,000	Level	Facilities		Area in sq.	.m.			
	in Table 3.3			No.	Per Unit	Total			
	Hierarchy of Urban	1	2	3	4	5			
	Development	Community	1. Hospital*	2	2,000-15,000	4,000-30,000			
		Population-	2. Tertiary	1	10,000-15,000	10,000-15,000			
		1,00,000	Health Care						
			Centre						
		Note:							
			pital plot will be restr						
			to plot having three s						
			e. Total floor area of		spitai snaii be gov	vernea as per tne			
	Level 4 District	totai numbe	er of beds allowed in	и.					
		Level	Facilities		Area in sq.	m			
	Population-5,00,000	Level	racinties	No.	Per Unit	Total			
	in Table 3.3	1	2	3	4	5			
	Hierarchy of Urban	District	1. Hospital	1	25,000-45,000	25,000-45,000			
	Development	Population-	2. Hospital	2	15,000-25,000	30,000-50,000			
		1,00,000	2. 110spiidi	_	13,000 23,000	30,000 30,000			
		1,00,000							
2	Para 3.3.2	viii) like <i>h</i>	ospitals/tertiary he	alth ca	re centres disne	nsaries			
-	GUIDELINES FOR	viii) iike 11	ospiiais/ieriary lie	ann ca	e com es, aispe	iisuries,			
	REDEVELOPMEN								
	T SCHEMES								
CHAPTER	4.0-SHELTER								
3	Para 4.4.1	vii) Health C	entre - Hospital/Tei	rtiary b	palth care centre	a Dienencary			
]	PERMISSION OF	vii) Healdi C	chae - Hospilai/Tei	ши у п	eaun care centr	t, Dispensary			
	PERMISSION OF								

		a) Hospital (category of hospital shall beds, which shall be regulated w					
11	Para 13.1	There shall be following health facilities fori. Hospitals category:	r the city population:				
	13.0-SOCIAL INFRAS						
		7. Security Forces Campus/Po	Care For captive use/as per requirement.				
10	Table 12.6: Norms for Fuel Stations	S. Land Use/Use premise No.	Norms				
	12.0-TRANSPORTAT	ION					
9	ANNEXURE III PROHIBITED/NEG ATIVE LIST OF INDUSTRIES	46. Hazardous waste processing viz., hospital/tertiary health care centre/medical/industrial waste					
8	Notes given below Table 7.3,	vii) Industrial plots abutting roads of 24m ROW and above shall be eligible for conversion to Hospitals (up to 100 beds) within the existing development control norms, subject to the conditions (a) the number of beds to be accommodated on a plot shall be worked out @ 80 sqm of gross floor area per bed and (b) payment of conversion charges as prescribed by the Government from time to time. The activities permissible in Hospital (Table 13.20) shall be permitted in such plots. However, this shall not be permitted on non-conforming/ regularized industrial cluster. The above provision shall not affect the Supreme Court orders in any manner.					
7	Table 7.2: Norms for Land Distribution in Industrial Areas	S. No. Use premise Percentage 4. Facilities: 6-8 • Public and Semi-Public: Fire Station/Fire Post, Police Station/Police Post, Hospital/Tertiary Health Care Centre/Dispensary, ITI/Polytechnic, Dharamshala, Night Shelter, Day Care Centre, etc.					
CHAPTER	7.0-INDUSTRY						
6	Notes below Table 5.4: Development Controls - Commercial Centres	i) All hotels, restaurants, auto workshop <i>care centres</i> , etc. will have to make arrang					
5	Table 5.3 Planning Norms	S. No. Use Zones/Use premise No. of Informal shops/Units iv) Hospital/Tertiary Health Care Centre 3 to 4 units per 100 beds					
4	Para 5.10. INFORMAL SECTOR	the boundaries of schools colleges, <i>hospitals/tertiary health care centres</i> and transport nodes and					
CHAPTER	5.0-TRADE AND COM	MMERCE					
	THE SUB USE ZONE – FOREIGN MISSION (RF)						
	USE PREMISES IN						

		 permissible FAR and area per bed is 80 sqm.) b) Tertiary Health Care Centre; c) Other health facilities, which include maternity home, nursir home, family welfare centre, polyclinic, pediatrics centre geriatric centre, diagnostic centre, etc. 							
12	Table 13.1: Planning Norms and Standards for Health Facilities	1 2 3 4 Note:	2.5 lakh 1.5 ha. to 2 3 1.00 lakh 0.2 ha. to 3 4 Tertiary Health Care Centre 1.00 lakh 0.2 ha. to 3						
13	Table 13.2: Development Controls for Health Facilities	S. No. 1.	Hospital/T ertiary Health Care Centre	Ground Coverage Ground coverage to be decided by interse building to building distances as per Building Bye Laws and fire tender movement require- ments, subject to a maximum 40% excluding 5% additional ground coverage for multi-level parking	facing ROW should be subject to NOC from all concerned agencies	Height No height restriction subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA. NBC to process the proposed revision of NBC as soon as possible. Till the time the NBC is revised, Delhi Fire Services(D FS) may allow no restriction of height for health care facilities with commensu rate fire and life safety measures, subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA and other stautory provisions.	Other Controls 1. Upto 25% of the permitted FAR can be utilized for residential use of essential staff, dormitory/ hostel for attendants of the patients, Creche etc. 2. Parking standard @ 2.0 ECS/100 sqm of floor area. 3. Maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium*. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilized ground coverage shall be counted toward FAR 4. Multi Level Podium parking shall be permissible to the extent of building envelope lines, free from FAR and ground coverage to facilitate ample parking in spaces, subject to structural safety. 5. Common areas such as waiting halls, reception and fire stair cases shall be allowed free from FAR. 6. Service floor of height 1.8m shall		

		# Hoco Notes 1. If C. 2. M Sp H C. Other a. In b. b. In c. C. B. C.	e Atrium may be eight restriction insultation with I is Plot area for all I is put @ 80 sqm of glax. upto 300 sqn oace/religious cospital/Tertiary ollege/Nursing and case of super sy the competent ared. In case of existing ubject to payment wing agency and assement after ut onditioning plant	allowed of 30 mts. in Hospital B Fire Deptt. of GNCTD Hospital/Tertiary Health gross floor area per bed. of floor area shall be all shrine/crèche/ chemist Health Care Centre and Paramedic Institutes sin specialty medical facilitie authority, the gross area s ag premises/sites, the enh of charges as may be p d other clearances. filization for Parking; Seint and equipment, water	es sites and also Medical tes. s/hospitals duly certified as such hall be worked out @ 80 sqm per nanced FAR shall be permitted, prescribed by the Authority/land rvices Requirements such as air r storage, boiler, electric sub-	
		station, HT & LT panel rooms, transformer compartment, control pump house, generator room; staff locker room, staff changing staff dinning facilities without kitchen facility, Central sterile steptile, back end office; Other Mechanical Services; Installative Electrical and fire fighting equipments; and Other Services like kit laundry and radiology lab and other essential services required for maintenance/functioning of the building may be used for health facilities with prior approval of the concerned agencies. d. Other controls related to basements etc. are given in the Development chapter. e. The bed count of a Health Facility may be allowed as per permit FAR, needs of the community and demand studies. f. Environment clearances shall be made mandatory considering the wastes are generated. Environmental clearances are mandatory as pervailing regulations related to the environment. g. Zero discharge for sewerage shall be enforced at the cost of the promand post treatment water can be used by premises for its need horticulture, flushing, coolant tower, washing or disposal to construction sites. These issues concerned the local bodies and concerned the local bodies and concerned the local bodies and construction sites. These issues concerned the local bodies and construction local power requirements shall be met by power supply				
14	Para 1. Pre-Disaster Preparedness below Para 13.6.3	b) • Priority should be given to public buildings (such as hospitals/ tertiary health care centres, educational, institutional, power stations, infrastructure, heritage monuments, lifeline structures and those which are likely to attract large congregation) for their ability to withstand earthquake of the defined intensity.				
15	Table 13.20: Health Facilities	S. No.	Use Premises	Definitions	Activities Permitted	
		1	Hospital	A premise providing medical facilities of general or specialised	Hospital, Staff accommodation, patient attendant accommodation,	

16			nature for treatment of indoor and outdoor patients. It may be managed by public private or charitab institution.	College (only on plot size 2.5 ha. to 4.5 ha., approximately), Parking,			
10	S.	Use Premises	Definitions	Activities Permitted			
	No.	m : 1 11		T. 1. 1. G. 60			
	11.	Tertiary health care centre	A premise providin advanced health car facilities of specialism nature such as supspecialty/ multi-special health care, types rehabilitation centretc. for treatment patients. It may be managed by public private or charitab institution.	re patient attendant accommodation, Institutional er Hostel, Health care management centre, Parking, Retail Shop (canteen, confectionery, grocery & general merchandise, books and stationery, chemist, barber, launderer, vegetable), Bank			
17 Table 13.25	: Sofaty						
- Fire	S. Safety S.	Use	Definitions	Activities Permitted			
	No. 5.	Disaster Management Centre	A premise havir facility of disaste emergency backu hospital facilit training centre for disaster preparedness wireless communication etc.	er training centre, hospital/tertiary health care y, centre, open grounds for practice and relief camps,			
CHAPTER 14.0-SOLD	WASTE						
18 Para 14.6 WASTE	SOLID B			Management) Rules, 1998, for rsing homes, and clinics			
CHAPTER 16.0-LAND		.,					
19 Para 16.2 S AREA REGULATI	PECIAL 2a ONS						
CHAPTER 17.0-DEVEL			MINITED ICE CULTUM	70			
20 CLAUSE 4 ZONES DESIGNAT	ED	PUBLIC AND SEMIPUBLIC FACILITES PS1 Hospital, <i>Tertiary Health Care Centre</i> , Education and Research University/University centre, College, Social - Cultural, Socio Cultural Complex/Centre, Police/Police Headquarter/Police Lines, Fire Stations/Disaster Management Centres, Religious, Burial Ground/Cremation.					
21 Sub/Clause	8(2)						
PERMISSI	` ′	Use		Use Zones			

					,	_		1	
	IN USE ZON	ES	i Hospital (0.2 ha. to 1.5 ha.)	P	P	NP	P	P	
			ii Tertiary Health Care Centre	P	P	NP	P	P	
			Notes:						
			(x) Size of hospital plot will be rest	ricted up	to 1.5 h	ı. in resid	lential d	area, with	
			preference to plot having three	side oper	n and ha	ving min	imum 1	8m ROW	
			on one side. Total floor area o	f the hos	pital sho	ıll be gov	erned e	as per the	
			total number of beds allowed in it.						
			(xi) The bed count of a Health Facility may be allowed as per permissible						
			FAR, needs of the community a	nd demai	nd studie	?s.			
CHAPTI	ER 18.0-PLAN RE	EVIEW A	AND MONITORING						
22	Table	18.1							
	Monitoring		Components						
	Framework	for	IV. SOCIAL INFRASTRUCT	URF					
	Development	101	a. Health	UKE					
	Development		*** == ****	1 \					
			i) Hospital (2.5 ha. to 4.5						
			ii) <i>Hospital (1.5 ha. to 2.5</i>						
			iii) <i>Hospital (0.2 ha. to 1.5</i>	ha.)					
			iv) Tertiary Health Care C	entre (0.	2 ha. to	1.5 ha.)	*		
			Note:						
			* The number of the various fa	cilities ii	n absolu	te numb	ers req	uired for	
			various plan period upto the ye				-		
			of Tertiary health care centre s						
			worked out by the Health Deptt.			•			

[No. K-12011/9/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.